अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 13/2015- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. (अ.) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं0 10/96-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं0 308(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

(1)	(2)	(3)
"8क	3307 41 00	अगरबत्ती" ।

[फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 10/96-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 308(अ) तारीख 23 जुलाई, 1996 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 25/2012- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 मई, 2012 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 340 (अ) तारीख 8 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।